

भारत सरकार  
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं. 4836**  
01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

**विषय : पीएम-किसान योजना में धोखाधड़ीपूर्ण पंजीकरण**

**4836. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम:**

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को मणिपुर में पीएम-किसान योजना में 10.03 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की जानकारी है, जैसा कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में स्पष्ट हुआ है;
- (ख) गबन की गई राशि की वसूली करने तथा इसके लिए जिम्मेदार लोगों को उत्तरदायी ठहराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ग) इस संबंध में जुलाई 2020 में दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) की स्थिति क्या है तथा क्या अब तक कोई कार्रवाई की गई है;
- (घ) कल्याणकारी योजनाओं में धोखाधड़ीपूर्ण पंजीकरण को रोकने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं; और
- (ङ) व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आगे और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क) से (ङ): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमिधारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ बिना किसी बिचौलियों की भागीदारी के देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना की शुरुआत से अब तक 19 किस्तों में रुपये 3.68 लाख करोड़ से अधिक का वितरण किया है।

इस योजना का लाभ पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सत्यापित विवरण के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से लाभार्थियों को अंतरित किया जाता है। यह योजना शुरू में एक ट्रस्ट-आधारित प्रणाली पर शुरू हुई थी, जहाँ लाभार्थियों को राज्यों द्वारा स्व-प्रमाणन के आधार पर पंजीकृत किया गया था। शुरुआत में, कुछ राज्यों के लिए आधार सीडिंग में भी छूट दी गई थी। बाद में, इसके निवारण के लिए, पीएफएमएस (PFMS), यूआईडीएआई (UIDAI) और आयकर विभाग के साथ एकीकरण सहित कई तकनीकी हस्तक्षेप शुरू किए गए। इसके अलावा, भूमि सीडिंग के साथ आधार आधारित भुगतान और ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया। इन अनिवार्य मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले किसानों को लाभ मिलना बंद हो गया। जैसे ही ये किसान अपनी अनिवार्य आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं, उन्हें योजना का लाभ उनके देय किस्तों के साथ, यदि कोई हो, प्राप्त होता है।

मणिपुर सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, लेखा महानिरीक्षक (AG) ऑडिट रिपोर्ट में कुछ अनियमितताएँ रिपोर्ट की गई थीं। तदनुसार, राज्य ने मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज की है।

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आयकर दाता, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य/केंद्र सरकार, संवैधानिक पद धारक आदि जैसे उच्च आय समूहों के कारण चिह्नित अपात्र किसानों को अंतरित किसी भी राशि की वसूली करने का अधिकार है। देश भर में अब तक अपात्र लाभार्थियों से रुपये 416 करोड़ की राशि वसूल की गई है।

\*\*\*\*\*